

प्रश्न सं. [ क. 2203 ]

मध्यप्रदेश शासन,  
खेल और युवा कल्याण विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 23/02/18

क्रमांक: 300/188/2018/नौः राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के 11-स्थलों पर इण्डोर हॉल का निर्माण क्रमशः विदिशा, शिवपुरी, राजगढ़ (जिला स्तरीय), अशोकनगर (ब्लॉक मुख्यालय), बैराठ, कोलारस (ब्लॉक स्तरीय, जिला शिवपुरी), जीरापुर, सारंगपुर, ब्यावरा, नरसिंहगढ़ (ब्लॉक स्तरीय, जिला राजगढ़), पवई (ब्लॉक स्तरीय, जिला पन्ना) एवं संचालन किए जाने हेतु स्थाई वित्तीय समिति (एस.एफ.सी) की बैठक दिनांक 27/01/2018 में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नवत् प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- 1- परियोजना में आउटसोर्स पद-22.
- 2- योजना अवधि के दौरान अनावर्ती तथा आवर्ती मद में योजनावार राशि निम्नवत् होगी:-

(राशि रु. लाख में)

क्र.	परियोजना का नाम	वर्ष	अनावर्ती व्यय	आवर्ती व्यय	कुल योग	निर्माण एजेंसी
1	11-स्थानों पर इण्डोर हॉल का निर्माण	2018-19	738.94	25.95	764.89	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, भोपाल
		2019-20	738.94	28.55	767.49	

- 3- योजना हेतु प्रस्तुत डी.पी.आर. में निर्धारित मापदण्डों एवं अनावर्ती व आवर्ती व्यय विवरण में निर्धारित मदों में सीमा अंतर्गत व्यय सुनिश्चित किया जाए।
- 4- योजना अंतर्गत अधोसंरचना निर्माण व स्थाई सामग्री, उपकरण आदि क्रय करने हेतु राज्य शासन के भण्डार क्रय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
- 5- आउटसोर्स से भरे जाने वाले पदों पर प्रतिवर्ष 10% राशि की वृद्धि की जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(किरण मिश्रा)

उप सचिव

म0प्र0 शासन

खेल और युवा कल्याण विभाग

122.6  
24/2/18

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.